न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वर्ष 2022

(पंचायत) निगरानी संख्या 01/ 22
जीसीएम संख्या :–2022/28
बउनवानीः–रामावतार पुत्र गोकुल चन्द लखेरा जाति लखेरा,निवासी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. प्रहलादमल पुत्र स्व0 औकारमल जैन जाति महाजन नि0 चौथ का बरवाडा
2. सुरेश चन्द पुत्र प्रहलादमल जैन जाति महाजन नि0 चौथ का बरवाडा
3. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्ध पत्रावली संख्या 1157 निर्णय दिनांक 21.10.2019 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता — वकील प्रार्थी
2. श्री अजय शेखर दवे — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 10.8.2023

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 1157 मे पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित प्रस्ताव/पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है क्योकि आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व नियमों की कतई पालना नही की है और ना ही निगरानी गुजार को व हरखास आम को कोई नोटिस जारी नही किया है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी संख्या 1 ने जिस पुख्ता दुकान खाम को पुस्तैनी बताकर पटटा जारी करवाने का गलत निर्णय लिया गया है क्योकि उक्त दुकान प्रहलादमल जैन की न होकर उसके खास भाई पदमचन्द जैन की है जिसको किसी भी प्रकार प्रहलादमल जैन को अन्तरित नही की जा सकती है। इसलिए पंचायत का उक्त निर्णय गलत एवं विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने इस दुकान के पश्चिमी की ओर चरपेटवा दुकान प्रहलाद नाथूलाल पदमचन्द व लाडाबाई की होना दर्शाया है जबकि यह चरपेटवा दुकान व उसके उपर मेडी पूर्व में नाथूलाल जैन के हिस्से व स्वामित्व कब्जे की थी जिसके द्वारा आज से करीब 25 वर्ष पूर्व जरिये एग्रीमेंट मुझ निगरानी गुजार को मय उपयोग अधिकार के विक्रय कर दी थी लेकिन उसके द्वारा निगरानी गुजार के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन नही कराने के कारण मुझ निगरानी गुजार ने नाथूलाल व उसके भाईयो के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक स0मा0 मे वास्ते सुनवायी व निर्णय अन्तरित हुआ तथा उसका निर्णय दिनांक 31.8.2006 को करते हुए दावा डिक्री फरमा दिया गया था। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण नाथूलाल वगैरहा ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी जो एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 549/2006 उनवानी नाथू[illegible] है। निगरानी गुजार को विक्रय की गयी दुकान के पूरब दिशा की ओर अटेच [illegible] दुकान है तथा उसी से लगती हुई दोनो दुकानों में उपर जाने के लिए [illegible] जीना में होकर ही निगरानी गुजार रामावतार को अपनी दुकान के उपर बनी हुई [illegible] में व दुकान पर [illegible] हेतु उपयोग करने का अधिकार विक्रय इक[illegible] तथा निगरानी गुजा[illegible] जीना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

मे होकर विवादित दुकान की छत पर होकर अपनी दुकान पर बनी हुई मेडी व छत पर लगातार आज दिन तक आवागमन करता आया है लेकिन निगरानी गुजार ने इस तथ्य को छुपा लिया तथा वार्ड पंचो द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नही किया है ओर ना ही ग्राम पंचायत द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करते हुए 9x28 फिट का पटटा जारी करने का निर्णय लिया गया है किन्तु उक्त भूमि में 2 फिट चौडाई मे जीना भी है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय मे अपील विचाराधीन रहते हुए 2 फिट चौडा जीना को विपक्षी संख्या 1 की दुकान में शामिल कर 9 फिट चौडाई का पटटा दिया गया है जिससे निगरानी गुजार के विधिक अधिकारो का हनन हुआ है क्योकि आदेश जैर निगरानी की आड मे अप्रार्थी उक्त जीना को तोडने एवं अपना हक जमाने पर आमादा है यदि विपक्षी द्वारा जीना तोड दिया तो निगरानी गुजार की छत पर बनी हुई मेडी एवं छत पर आवागमन का जरिया खत्म हो जावेगा। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी 6.12.2021 को होने पर निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः आदेश जैर निगरानी अपास्त फरमाया जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार द्वारा यह निगरानी झूठें तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। मुझ अप्रार्थी द्वारा दिनांक 2.9.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी स्वंय की पुरातन दुकान का पटटा बनवाने बाबत पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 3.9.2019 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया किन्तु एक माह के तक कोई आपत्ति नही आने पर दिनांक 5.10.2019 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वार्ड पंच श्री अमीन कुरेशी,श्री प्रेमशंकर चन्देल,श्री मुकेश वर्मा व श्री विकास तिलोर को लगाया जाना पर उनके द्वारा दिनांक 19.10.2019 को मौका देख कर आवश्यक दस्तावेज व नक्शा माप व दिशाऐ सही पायी जाने पर दिनांक 21.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे उक्त दुकान के लिए 9x28 फिट भूमि का पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षों की और से बहस में प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के पश्चात् एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी की दुकान के मालीकाना हक को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा वाद दायर किया था जो दिनांक 31.8.2006 को प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित हुआ है जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राज0 जयपुर अपील प्रस्तुत की गयी है जो अपील संख्या 549/2006 उनवानी नाथूलाल बनाम रामावतार वर्तमान जैरकार है। यद्यपि इस प्रकरण में प्रार्थी के उपयोग मे आने वाले 2 फिट जीना की भूमि का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष मे जारी करवाने को लेकर विवाद है। यदि जीना का पटटा जारी हुआ है तो आदेश जैर निगरानी का पुनः परीक्षण करवाया जाना उचित समझता है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी के उपयोग मे आ रहे 2 फिट चौडाई वाले जीना की भूमि को छोड़कर एवं प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से नियमानुसार पटटा जारी करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner